

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
अधिसूचना

FAX
ई-मेल


संख्या: 3/स्था0 (रिसर्वे खतियान) -25/2013- 32 (3)/रा0, पटना-15, दिनांक 13.2.14

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012 के अन्तर्गत सर्वेक्षण के उपरान्त अंतिम रूप से प्रकाशित अधिकार अभिलेख में की गयी प्रविष्टि के विरुद्ध प्राप्त दावों/आक्षेपों की सुनवाई हेतु बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012 के नियम 15 (1) के निहित प्रावधानों के तहत निम्नांकित समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी को अन्तिम प्रकाशन के बाद प्राप्त दावों एवं आक्षेपों की सुनवाई के लिए प्राधिकृत किया जाता है :-

- (1) समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, नालन्दा
- (2) समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय
- (3) समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, शेखपुरा
- (4) समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, लखीसराय
- (5) समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, खगड़िया

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,




(शशि भूषण तिवारी),

सरकार के अपर सचिव।

संख्या-3/स्था0 (रिसर्वे खतियान) -25/2013 -32 (3)/रा0, पटना-15, दिनांक-13.2.14

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव-सह-निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय/अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, लखीसराय/शेखपुरा/बेगूसराय/खगड़िया एवं नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(शशि भूषण तिवारी),

सरकार के अपर सचिव।

संख्या-3/स्था0 (रिसर्वे खतियान) -25/2013 -32 (3)/रा0, पटना-15, दिनांक-13.2.14

प्रतिलिपि-आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को विभागीय वेबसाइट पर इसे प्रकाशनार्थ प्रेषित।



(शशि भूषण तिवारी),

सरकार के अपर सचिव।